तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

28/12/2022

अधिवक्ता अपीलाण्ट उपस्थित। यह अपील सहायक कलेक्टर जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2015/8458 बउनवान भगवानराम बनाम रामनारायण में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा निमाज के चक संख्या 01 में खसरा संख्या 216, 217, 218 में रामनारायण, लक्ष्मीनारायण, गिरिराज पुत्र घमंडीराम, मुलचंद, सुगनचंद का बसामलाती 1/3 हिस्सा हिस्सा रेवेन्यू रेकर्ड व मौके के अनुसार है। रेस्पोडेण्ट के द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही कि अपीलाण्ट व अन्य रेस्पोडेण्ट कृषि भूमि का बेचान द्वारा व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेण्ट के हिस्से से अधिक कृषि भूमि बाबत् स्थगन आदेश पारित किया एवं अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट को उनके हिस्से की कृषि भूमि को बेचाण द्वारा व अन्य प्रकार के हस्तान्तरण बाबत् रोका गया। रेस्पोडेण्ट को अपने हिस्से तक ही स्थगन प्राप्त करने का अधिकार है। अन्य सहखातेदार के हिस्से पर स्थगन का अधिकारी नहीं है। अपीलाण्ट को अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान का हक है व पारिवारिक समझौता से भी हस्तारण का हक है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 8 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण ने अपने आदेश दिनांक 22.07.2015 में यह अंकित किया है कि– "अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायल विरूद्ध गै0 सा0 इस आषय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा निमाज चक प्रथम खसरा नम्बर 216, 217, 218 कुल खसरा 3 कुल रकबा 34–13 बीघा गै0 मु0 बैरा, सड़ा व चा0 दो0 भूमि का अन्य किसी को बेचान रहन अन्य हस्तान्तरण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नहीं करने आदि बाबत् गै0 सा0 को आगामी तारीख पेशी तक रोका जाकर पाबन्द किया जाता है।'' न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण के द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयात पर आदेश दिनांक 22.07.2015 पारित करते हुऐ स्थगन आदेश जारी कर दिया। इस प्रकार आलोच्य आदेश अंतरिम आदेश है और मूल वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण में लम्बित है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का निर्णय वाद के अन्तर्गत बाद साक्ष्य होगा परन्तु न्यायालय सहायक कलेक्टर जैतारण के द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3(अ) के तहत बनाये गये प्रावधानों की अवहैलना की गई है। आदेश दिनांक 22.07.2015 को पारित किये जाने के बाद पेशी दिनांक 24.08.2015 नियत की गई। जिसके पश्चात् दिनांक 10.09.2015, 20.10.2015, 09.11.2015, 11.01.2016, 18.02.2016, 31.03.2016, 11.05.2016, 17.05.2016, 18.07.2016, 31.08.2016 की पेशीयां नियत की गई है जबकि उपरोक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय 30 दिवस के भीतर किया जाना चाहिए था जो आज दिवस तक नहीं हुआ है। रेंस्पोडेण्ट के द्वारा मात्र अपीलाण्ट को परेशान करने की नियत से उपरोक्त प्रकरण में आगामी कार्यवाही नहीं की जा रही है और न्यायालय के द्वारा भी आदेश 39 नियम 3 (क) जा.दी. के प्रावधानों की अवहैलना की जा रही है। एक माह के अन्दर निस्तारण नहीं करने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी को आदेशिका में उसका कारण स्पष्ट करना आवश्यक है। सहायक कलेक्टर जैतारण से यह अपेक्षित था कि दोनों पक्षों को सुनकर उनके समक्ष लम्बित धारा 212 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण 30 दिन की अवधि में करते। उनके समक्ष लम्बित धारा 212 के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण नहीं किया जाकर सिर्फ आगामी तारीख पेशियां दी जा रही है, जिसे न्याय की दृष्टि में विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। उक्त मत को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल की फुल बैन्च ने 2014 डी एन जे पेज 67 में व्यक्त किया है जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि– The Trial Court shall be under obligation to dispose of the application of temporary injunction on merits within

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

30 days of passing such ex parte order as per Rule 3-A of order 39 of the Code.

अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश दिनांक 22.07.2015 को विधि के प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टांतों द्वारा स्थापित न्यायिक सिद्धांत – "जहां कोई व्यादेश विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना दिया गया है वहां न्यायालय आवेदन को ऐसी तारीख से जिसको व्यादेश दिया गया था, 30 दिन के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा और जहां ऐसा करने में असमर्थ है वहां वह ऐसी असमर्थतता के लिए कारण अभिलिखित करेगा।" की पालना नहीं करना कतई उचित नहीं है। अतः उनके आदेश दिनांक 22.07.2015 को निरस्त किया जाता है। न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उभय पक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर एक माह के अन्दर विधि अनुसार अंतिम निर्णय पारित करें। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। उक्त निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली